

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- सं.24-3(6)/पदो./अभि/2023/546-99 जयपुर, दिनांक:- 29/01/2024

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्ति के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मेट्रिक्स लेवल - 5 में पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम मय पिता का नाम	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया
01	02	03	04
1.	श्री समय सिंह मीना पुत्र श्री सिया राम	अनुसूचित जनजाति	दिनांक 01.04.2023

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
03. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
04. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष ।
05. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (कनिष्ठ), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
06. रक्षित पत्रावली ।

Signature valid

RajKaj Ref
5407005



निदेशक अभियोजन
Digitally signed by Rav Sharma
Designation: Director
Date: 2024.01.29 17:55:42 IST
Reason: Approver